



माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय
(मध्य प्रदेश विधानसभा के अधिनियम क्रमांक 15, 1990 द्वारा स्थापित)
MAKHANLAL CHATURVEDI NATIONAL UNIVERSITY OF JOURNALISM AND COMMUNICATION
(Setup by Act No.15, 1990 of M.P. Legislative Assembly)

क्र./अका./2024/ 708

भोपाल, दिनांक 23-07-2024

अधिसूचना

मध्यप्रदेश राजपत्र, असाधरण क्रमांक - 75 दिनांक 11 मार्च 2024 में प्रकाशित अनुसार, अवर सचिव, म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रं. 452/1250/38-3 भोपाल दिनांक 05-04-2024 के अनुक्रम में मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम -1973 (संशोधन) 2024 के बिन्दु क्रं.-02 अनुसार शब्द "कुलपति" के स्थान पर अंग्रेजी में Vice Chancellor तथा हिन्दी में "कुलगुरु" प्रतिस्थापित किया गया है। तदानुसार माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय अधिनियम क्रं. 15, 1990 की कंडिका (10) में उपरोक्तानुसार संशोधन महापरिषद के अनुमोदन की प्रत्याशा में करते हुए भविष्य में शासन से हिन्दी पत्राचार में कुलपति के स्थान पर "कुलगुरु" पदनाम प्रभावशील किये जाने हेतु एतदर्थ अधिसूचित किया जाता है।

(वरिष्ठ स्तर से अनुमोदित)

(प्रो. (डॉ.) अविनाश वाजपेयी)
प्रभारी कुलसचिव

पृ./क्र./अका./2024/ 705

भोपाल, दिनांक 23/07/2024

प्रतिलिपि-

- 1) निज सचिव कुलपति, निज सहायक कुलसचिव को सूचनार्थ।
- 2) समस्त विभागाध्यक्षगणों/परिसर प्रभारियों/शाखा प्रभारियों को सूचनार्थ।
- 3) प्रभारी वेबसाईट को वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ।
- 4) आदेश पुस्तिका।

(प्रो. (डॉ.) अविनाश वाजपेयी)
प्रभारी कुलसचिव